विजन-2047: भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने की मुहिम

01-15 जून, 2023 वर्ष-1 अंक-5

सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

निःशुल्क प्रति

अवैध नहीं वैध तरीके से लेना होगा विदेशी अनुदान

पारदर्शी हुआ एफसीआरए कानून

बिपरजॉय तूफान : केंद्र की तैयारियों और सतर्कता ने बचाई हजारों लोगों की जान

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

ट्वीट्स	04
अवैध विदेशी चंदे पर कसा शिकंजा	12
भारत में डिजिटलीकरण एक क्रांतिकारी परिवर्तन लायाः पीएम	15
हजारों साल पुरानी संस्कृति में प्रकृति भी और प्रगति भी	16
सुशासन और आत्मनिर्भरता के साथ एक विकसित भारत की आकांक्षा	17
भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने की मुहिम	22
सीमाओं की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती गांववासियों के साथ संपर्क...	24
केंद्रीय गृह सचिव की कई मुद्दों पर अहम बैठक	25

विशेष रिपोर्ट

05 अवैध नहीं वैध तरीके से लेना होगा विदेशी अनुदान

10 एफसीआरए एक्ट में संशोधन से विदेशी चंदे...

18 केंद्र की तैयारियों और सतर्कता ने बचाई....

संपादक
की कलम से

बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

> विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम विंग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण सिस्टम की शुरूआत कर पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया गया है, वहीं दूसरी ओर इससे भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में भी मदद मिली है।

शासन व्यवस्था को सुशासन में परिवर्तित करने के लिए बहुत-सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं जिनमें से कुछ संगठन एवं संस्थाएं आमजन के मध्य रहकर कार्य करती हैं। जैसे पुलिस प्रशासन सक्रिय और प्रतिक्रियाशील दोनों ही रूपों में कार्य कर शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर अन्य एजेंसियों को कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। यही कारण है कि लोग इसे राज्य का सबसे सक्रिय और प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला तंत्र मानते हैं, जिससे देश का प्रत्येक नागरिक एवं संस्था किसी न किसी रूप से प्रभावित होती है या उसकी सेवाओं का लाभ प्राप्त करती है। इसी प्रकार भारत सरकार, गृह मंत्रालय की कई अन्य इकाइयां भी हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर सुशासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, यद्यपि ऐसी संस्थाओं के कार्यों की जानकारी आमजन तक कम ही पहुंच पाती है। गृह मंत्रालय का ऐसा ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाग 'विदेश प्रभाग' है, जिसके अंतर्गत 'विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम' (FCRA) विंग कार्य करती है।

प्रजातांत्रिक एवं लोक कल्याणकारी शासन ने देश में बहुत-सी गैर-सरकारी संस्थाओं का सृजन किया है जो जन सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ गैर-सरकारी संस्थाएं अपनी पहुंच, फैलाव और व्यावसायिक कुशलता से शासन व्यवस्था में पूरक के रूप में कार्य कर रही हैं। जहां एक ओर इनमें से कुछ संस्थाएं सामाजिक सरोकार से संबंधित नागरिक सेवाओं में सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक प्रवृत्ति की संस्थाओं द्वारा राष्ट्र एवं लोकनीति विरोधी कार्य भी किए जा रहे हैं। ऐसी संस्थाएं अपने वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता नहीं रखती हैं या प्राप्त संसाधनों का दुरुपयोग करती हैं। ऐसी स्थिति में, विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम (FCRA) विंग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जहाँ एक ओर विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम विंग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण सिस्टम की शुरूआत कर पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया गया है, वहीं दूसरी ओर इससे भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में भी मदद मिली है। इस विंग ने मनी लांड्रिंग जैसे सफेदपोश अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसके साथ-साथ, विंग ने गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं को प्राप्त होने वाले अवैध/अनियमित धन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं, वहीं अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच से इसने विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता, उसके दुरुपयोग की संभावना पर रोक और नियामक ढांचे को मजबूत किया है। इस संस्था के कार्य अत्यंत सराहनीय हैं, जो सामने न रहते हुए भी देश में सुशासन स्थापित करने में अपना अनुकरणीय योगदान दे रही है। 'सजग भारत' का यह संस्करण विशेष रूप से विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम (FCRA) को समर्पित है।

'सजग भारत' के इस पाँचवें अंक को प्रस्तुत करते हुए हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का इंतजार रहेगा। आप अपने सुझाव dg@bprd.nic.in पर भेज सकते हैं।

जय हिंद !

आज भारत एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, सुरक्षित और मजबूत देश है। आज भारत को उसकी राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता है।

-श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान बिपरजॉय में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई, ये बहुत संतोष की बात है। इस तूफान में NDRF और SDRF ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने का काम किया...इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ।

-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

वर्ष 2014 से अब तक 'बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम' के अंतर्गत 839 पुलों का निर्माण, 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई, 5,638 से ज्यादा स्मार्ट सिटी परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और यही विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर आज नए भारत की सशक्त पहचान है।

- श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार

By paying utmost respect and attention to the pleas of Taxpayers, the government led by PM Shri@narendramodi ji is formulating citizen-centric and citizen-friendly policies.

- Sh. Nisith Pramanik,
Minister of State (Ministry of Home Affairs and Ministry of Youth Affairs & Sports)

Whether it is a road, air, railway, ropeway or port infrastructure, India has witnessed a complete transformation Under the visionary leadership of PM Shri @narendramodi Ji.

- Sh. Ajay Mishra, Minister of State (Ministry of Home Affairs)

गृह मंत्री ने आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ करने में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भूमिका की सराहना की। सीमापार से घुसपैठ और मादक पदार्थों व हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए सीमा पर अत्यधिक चौकसी बरतने की जरूरत पर बल दिया। सीमाओं की सुरक्षा के लिए हर सीमावर्ती गांव और वहां के निवासियों के साथ संपर्क और संवाद बहुत जरूरी है, सभी सीएपीएफ को स्थानीय उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन रुकेगा।

-केंद्रीय गृह मंत्रालय

विदेशी अनुदान अधिनियम यानी एफसीआरए लाइसेंस विदेशी चंदा लेने के लिए जरूरी होता है। इसके बिना कोई गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था विदेशों से चंदा नहीं ले सकती। फिर भी कुछ संस्थाएं विदेशों से चंदा लेती रहीं, कुछ वैध तरीके से तो कई अवैध तरीके से। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने इस पर नकेल कसना शुरू कर दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अगुवाई में साल 2020 में इसमें कई संशोधन करके केंद्र सरकार ने पूरी पारदर्शिता और देशहित के लिए काम करने का आग्रह किया।

अवैध नहीं वैध तरीके से लेना होगा विदेशी अनुदान

पारदर्शी हुआ एफसीआरए कानून

» ब्यूरो

बीते कुछ वर्षों में विदेशी चंदे के जरिए भारत में कई ऐसे तरह के कार्य संचालित किए जा रहे थे, जिनसे देशहित को खतरा था। इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने विदेशी अनुदान अधिनियम यानी एफसीआरए में कुछ ऐसे संशोधन किए, जिससे विदेशों से आने वाले चंदे की सही तरीके से मॉनीटरिंग हो सके। इसका सही जगह उपयोग हो, वंचितों को लाभ मिले और सामाजिक कार्यों में इसकी संलिप्तता हो, न कि इस धन का उपयोग देश को अस्थिर करने और षड्यंत्र को पोषित करने के लिए हो। स्वयं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मानते हैं कि सरकार देश की बर्बादी के लिए एक पाई भी देश में आने नहीं देगी। उन्होंने यह भी कहा था कि केंद्र द्वारा कानून बनाए जाने के बाद लगातार कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो

संशोधन की विशेष बातें

- पहले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के कई अलग बैंक एकाउंट होते थे, जिसमें विदेशों से करोड़ों रुपए का चंदा आता था। नए संशोधन के तहत अब एनजीओ को विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त एक बैंक शाखा का निर्धारण किया गया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में बैंक एकाउंट खुलवाना अनिवार्य कर दिया है। इससे बैंकिंग लेनदेन पर नजर रखी जा सकेगी। यदि कोई जनकल्याण से जुड़े मसले पर कार्य कर रहा है, उसे और बेहतर तरीके से मदद दी जा सकेगी।
- एनजीओ की ऑडिटिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसकी जानकारी सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा मांगे जाने पर देनी ही होगी।
- जिस कार्य हेतु संस्था को विदेशी चंदा मिला है, उसी कार्य में उस संस्था को उन पैसों को निवेश करना होगा। उससे जुड़ी तमाम जानकारी, सबूतों को अपने पास सुरक्षित रखना होगा।
- एनजीओ संस्था को अपनी एक्टिविटी दिखानी होगी। कुछ साल पहले तक एनजीओ की लाइसेंस नवीनीकरण यानी रिन्यू की प्रक्रिया बेहद ढीली और कमजोर थी, जिसका फायदा उठाकर कई संदिग्ध कार्यों और करोड़ों रुपए के लेनदेन होते रहे थे। इसलिए नवीनीकरण की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट किया गया है।
- खुफिया एजेंसी आईबी द्वारा गृह मंत्रालय को दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ समय पहले कई एनजीओ संस्थाओं द्वारा विदेश से आए चंदे की रकम को किसी अन्य संदिग्ध कार्यों में खर्च कर दिया जाता था। उसका हिसाब जांच एजेंसी या संबंधित विभागों द्वारा मांगने पर झूठी जानकारी साझा करते हुए बता दिया जाता था कि दफ्तर के प्रशासनिक कार्यों में पैसा खर्च हुआ है। जैसे कि एनजीओ में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सैलरी, दफ्तर का रेंट, वाहन-विमान सुविधाओं पर खर्च इत्यादी। गलत जानकारी देकर 50 फीसदी खर्चे को कागजों पर दिखा दिया जाता था, जबकि वैसा होता नहीं था। अब इस मसले पर हुए नए कानूनी संशोधन के बाद विदेशी चंदे की मात्र 20 प्रतिशत रकम ही संस्था द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कार्यों में खर्च कर सकते हैं।
- एनजीओ को आधार कार्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण पहचान पत्रों से जोड़ा गया और पेन कार्ड के दुरुपयोग को भी रोका गया।

> बीते 9 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी है। ये जनभागीदारी का ही परिणाम है कि गरीब हों या वंचित, नारी शक्ति हो या युवा शक्ति, हर वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है। इस दौरान देश ने सभी क्षेत्रों में नवनिर्माण की मिसाल कायम की है। **-श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

वास्तव में देशहित के लिए खतरा है। इसलिए सरकार ने अवैध तरीके से लिए जाने वाले विदेशी अनुदान पर रोक लगाकर यह साबित कर दिया कि अगर विदेशी अनुदान लेना है तो वैध तरीका ही अपनाना होगा।

असल में, विदेशी अनुदान अधिनियम (एफसीआरए) बनाने का उद्देश्य था कि विदेशों से चंदा लेने वाली सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं पर नजर रखी जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि उस अनुदान का कहीं देश-विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। एफसीआरए की जरूरत इसलिए होती है कि विदेश से आने वाले चंदे और पैसों का क्या इस्तेमाल हो रहा है, सरकार इस पर निगरानी रख सके। देश में यह कानून दशकों से था। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसमें समय सापेक्ष संशोधन किए गए। मंशा केवल यही रही कि अवैध तरीके से चंदा न आए और विदेशों से आने वाले चंदों पर पूरी तरह से सरकार की निगाहें हों। इन पैसों से देश का माहौल और व्यवस्था खराब न की जा सके।

उल्लेखनीय है कि साल 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया, उसके बाद कई गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) गहन जांच के दायरे में आ गए। साल 2015 में केंद्र सरकार ने खुफिया ब्यूरो से मिले इनपुट के आधार पर गैर-सरकारी संगठनों की एक सूची तैयार की, जो कथित रूप से शत्रुतापूर्ण गतिविधियों की एक श्रृंखला में शामिल थे, जैसे कि वामपंथी चरमपंथियों के साथ संबंध, आदिवासियों का ईसाई धर्म में 'धर्मांतरण' और सांप्रदायिक संगठनों के साथ जुड़ाव, जैसे स्टूडेंट

इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया आदि।

21 नवंबर 2014 की बैठक में, सरकार की आर्थिक खुफिया परिषद ने कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशों से प्राप्त धन के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही एफसीआरए के तहत विदेशी सहायता पर चल रहे एनजीओ पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। देश के शीर्ष कर निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जो विदेशी धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखता है, को सतर्क कर दिया गया। उस समय कहा गया था कि सरकार ने विदेशी सहायता पर चल रहे एनजीओ के खिलाफ शिकंजा कसा तो 13 हजार से ज्यादा एनजीओ ने खुद अपना लाइसेंस रद करा दिया था। साल 2017 के दौरान ही लगभग 4800 एनजीओ के लाइसेंस रद किए गए थे। सरकार ने विदेश से फंड लेने वाले सभी एनजीओ, कंपनियों या व्यक्तियों को 32 निर्धारित बैंकों में से किसी एक में अकाउंट खुलवाने के लिए कहा है।

सरकार ने सितंबर, 2020 में एफसीआरए कानून में संशोधन कर विदेशों से मिल रहे चंदे के प्रावधान में कड़ाई की। नए एफसीआरए कानून के मुताबिक, विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिए व्यक्तियों, संघों और कंपनियों को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2020 के अनुसार एफसीआरए प्रमाणपत्र लेना आवश्यक है। नया अधिनियम कहता है कि किसी संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान को किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2022 में सूरजकुंड में हुए चिंतन शिविर में भी एफसीआरए को लेकर गंभीर मंत्रणा हुई। जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशकों के साथ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने चर्चा की। श्री शाह ने अपने संबोधन में कहा था कि गृह मंत्रालय सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम में सुधारों पर लगातार काम कर रहा है, और जल्द ही इनका संशोधित खाका संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों से लड़ने के लिए आंतरिक सुरक्षा के सभी संसाधनों का समुचित उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए संसाधनों का अनुकूलन, संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग और संसाधनों का एकीकरण होना चाहिए, जो राज्यों के बीच समन्वय को और बेहतर करेगा।

21 सितंबर, 2020 को लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने एफसीआरए बिल को लेकर कहा था कि यह विधेयक किसी धर्म या एनजीओ के खिलाफ नहीं है। इस विधेयक से विदेशी धन का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी और यह आत्मनिर्भर भारत के लिए भी जरूरी है।

जब यह एफसीआरए के बिल को लेकर राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, उस समय सरकार की ओर से

कुछ एनजीओ भारत के समाज को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ इसे प्रताड़ित करना चाहते हैं। दोनों तरह के एनजीओ के लिए भारत सरकार की नीति एक नहीं हो सकती है। एफसीआरए कानून का पालन नहीं करने वालों पर दया का भाव नहीं दिखाया जा सकता है। विदेशों से आने वाले धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हों, ऐसा नहीं चलेगा। सरकार देश की बर्बादी के लिए एक पाई भी देश के भीतर नहीं आने देगी।

-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

कहा गया कि विदेशों से मिलने वाले फंड को रेगुलेट करना चाहिए, ताकि ये फंड किसी भी सूरत में देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल ना हो सके। इस कानून के पीछे सरकार का मकसद विदेशी चंदा लेने पर पाबंदी, विदेशी चंदे के ट्रांसफर और एफसीआरए एकाउंट खोलने को लेकर स्पष्ट नियम और आधार नंबर देने की अनिवार्यता की व्यवस्था लागू करना है। राज्यसभा में फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट 2020 यानी एफसीआरए (FCRA) बिल को पास किया गया है। नए बिल में अब गैर-सरकारी संस्थाओं यानी एनजीओ के प्रशासनिक कार्यों में 50 फीसद विदेशी फंड की जगह सिर्फ 20 फीसद फंड ही इस्तेमाल हो सकेगा।

जुलाई, 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन कर भारतीयों को विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों से साल में 10 लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति दी है और इसके लिए उन्हें अधिकारियों को सूचना नहीं देनी होगी। पहले इसकी सीमा एक लाख रुपये थी। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यदि रकम (10 लाख रुपए से) अधिक हो तो लोगों को सरकार को सूचित करने के लिए पहले से निर्धारित 30 दिन के बजाय अब 90 दिन का समय मिलेगा। एक अलग अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने संगठनों या व्यक्तियों पर सीधे मुकदमा चलाने के बजाय एफसीआरए के तहत पांच और अपराधों को 'समझौता योग्य' बना दिया। इससे पहले, एफसीआरए के तहत केवल सात अपराध 'समझौता योग्य' थे।

दरअसल, एफसीआरए विदेशी दान को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इस तरह के योगदान से भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। पहली बार 1976 में अधिनियमित, इसे 2010 में और फिर 2016 और 2018 में संशोधित किया गया था। नए एफसीआरए बिल ने एफसीआरए 2010 में और बदलाव किए। सभी संगठनों के लिए एफसीआरए के तहत खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है, जो विदेशी दान प्राप्त करना चाहते हैं। पंजीकरण शुरू में पांच साल के लिए वैध है और बाद में सभी मानदंडों का पालन करने पर इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। पंजीकृत संघ सामाजिक,

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010

- भारत में व्यक्तियों के विदेशी वित्त पोषण को एफसीआरए अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है और गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- व्यक्तियों को एमएचए की अनुमति के बिना विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति है। हालांकि, इस तरह के विदेशी योगदान की स्वीकृति के लिए मौद्रिक सीमा 25,000 रुपए से कम होगी।
- अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले उस उद्देश्य का पालन करते हैं जिसके लिए ऐसा योगदान प्राप्त किया गया है।
- संगठनों को हर पांच साल में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020

- ***विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध :*** अधिनियम लोक सेवकों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोकता है।
- ***विदेशी अंशदान का अंतरण :*** अधिनियम विदेशी अंशदान को स्वीकार करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी अंशदान के हस्तांतरण पर रोक लगाता है।
- ***पंजीकरण के लिए आधार संख्या:*** अधिनियम एक पहचान दस्तावेज के रूप में, विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के सभी पदाधिकारियों, निदेशकों या प्रमुख पदाधिकारियों के लिए आधार संख्या को अनिवार्य बनाता है।
- ***एफसीआरए खाता :*** अधिनियम में कहा गया है कि विदेशी योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की ऐसी शाखाओं में एफसीआरए खाते के रूप में बैंक द्वारा निर्दिष्ट खाते में प्राप्त किया जाना चाहिए।
- ***प्रमाण पत्र का समर्पण :*** अधिनियम केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र सरेंडर करने की अनुमति देता है।

शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं। इनकम टैक्स की तर्ज पर सालाना रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है।

एफसीआरए 2020 का कहना है कि विदेशी अंशदान अब केवल भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की एक शाखा में 'एफसीआरए खाते' के रूप में बैंक द्वारा निर्दिष्ट खाते में प्राप्त किया जा सकता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इस खाते में विदेशी योगदान के अलावा कोई भी धनराशि प्राप्त या जमा नहीं की जानी चाहिए। नए अधिनियम ने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रशासनिक लागतों को पूरा करने के लिए विदेशी धन के उपयोग को मौजूदा 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। लोकसभा में जब इस पर बहस चल रही थी, उस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने कहा था कि नया अधिनियम गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ नहीं था और पारदर्शिता लाने और विदेशी योगदान के दुरुपयोग को रोकने के लिए था। प्रशासनिक खर्चों की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी करने पर उन्होंने कहा था कि अगर सिविल वर्क के लिए बनी एनजीओ को मिले चंदे का 50 फीसदी खुद पर खर्च करना पड़े, तो उससे क्या अच्छे काम की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा, 'एफसीआरए एक राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा कानून है, जो यह सुनिश्चित करता

है कि विदेशी धन राष्ट्रीय हितों को प्रभावित न करे। यहां, पारदर्शिता मुख्य उद्देश्य है।'

साल 2021 के दिसंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कोलकाता में स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये मदर टेरेसा द्वारा स्थापित एक संस्था है, जो भारत सहित कई अन्य देशों में काम करती है। संस्था का पंजीकरण रद्द करने से संबंधित मसले पर जानकारी इकट्ठा की गई तो पता चला कि ये कार्रवाई कानून के तहत हुई है। एफसीआरए संशोधन से जुड़े विधेयक (एफसीआरए संशोधन विधेयक 2020) को साल 2020 में पारित किया गया था और उसे प्रभावी करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा साफ कर दिया गया था कि 25 दिसंबर, 2021 तक अगर कोई एनजीओ पात्रता मापदंड को पूरा नहीं करेगा तो उस संस्था का पंजीकरण रिन्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन कई संस्थाओं द्वारा उस मसले पर लापरवाही बरती गई। इसी वजह से हजारों एनजीओ का पंजीकरण रद्द हुआ था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था का पंजीकरण रद्द होना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। बाद में संस्था द्वारा इस मामले पर अपनी लापरवाही समझते हुए तमाम कागजी औपचारिकताओं को पूरा किया गया और उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की एफसीआरए पंजीकरण बहाल कर दिया गया। ये तो एक संस्था का उदाहरण मात्र है।

इस कानून के तहत ये बताया गया था कि हर साल हजारों करोड़ रुपए के विदेशी योगदान के इस्तेमाल और समाज कल्याण का काम करने वाले वास्तविक गैर-सरकारी संगठनों के भुगतान में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। यानी विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए किसी भी एसोसिएशन और गैर सरकारी संगठन के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) कानून के तहत पंजीकरण कराना बेहद आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा देश के अंदर हजारों एनजीओ पर थोड़ी लगाम अवश्य लगाई गई है। सरकार की सोच देश को आगे बढ़ाने और देश की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की है।

संदिग्ध गतिविधियों पर लगी रोक

कई एनजीओ के कार्यकर्ताओं पर लोगों को धार्मिक मुद्दों पर बांटने, एक साजिश के तहत धर्मांतरण को बढ़ावा देने, जंगल, गांवों और शहरों में एक साजिश के तहत कार्य करने का आरोप लगता रहा है, जो विदेशी चंदे का दुरुपयोग करके किये जाते रहे हैं। कई एनजीओ पर ये भी आरोप लगता रहा है कि जिने कल्याणकारी योजनाओं के लिए विदेश से चंदा लिया जाता है, उस पैसों को उस कार्य के बजाय किसी अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लगाया जाता रहा है। लिहाजा सैकड़ों-हजारों एनजीओ के खिलाफ मिले इनपुट्स को देखते हुए ही ऐसा कानून बनाया गया है।

सरकार ने धर्मांतरण कराने वाले एनजीओ पर एक और प्रहार करते हुए एफसीआरए यानि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2011 में बदलाव कर इसे और कठोर बना दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि एफसीआरए के तहत पंजीकृत संस्थाओं और वहां काम कर रहे प्रत्येक कार्यवाहक सदस्यों को यह घोषणा करनी होगी कि वह किसी भी धार्मिक परिवर्तन के कार्य या सांप्रदायिक वैमनस्यता में शामिल नहीं है। उन्हें यह घोषणा एक हलफनामा दाखिल करनी होगी।

अभी तक इस तरह का डिक्लीरियेशन एनजीओ के चीफ फंक्शनरी को सेक्शन 12(4) के अंतर्गत पेश करना होता था लेकिन 2019 में हुए दूसरे संशोधन के बाद अब सभी कार्यकर्ताओं व सदस्यों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। नियम 7 में भी कुछ संशोधन किए गए हैं। जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा के दौरान किसी आपात स्थिति में इलाज की जरूरत होती है और वह विदेशी मदद प्राप्त करता है तो उसे इसकी जानकारी केंद्र सरकार को एक महीने के भीतर देनी होगी जो पहले 60 दिन यानी दो महीने थी। सूचना में मदद का स्त्रोत, भारतीय मुद्रा में उसका मूल्य और किस तरह उसका इस्तेमाल किया गया, यह ब्योरा देना होगा। जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से एफसीआरए के नियमों में बदलाव किए गए। सरकार की ओर सख्ती बरती गई, उसका असर देश में हो रहे धर्मांतरण पर भी पड़ा। अप्रैल, 2022 में कुछ गैर-सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं पर सरकार की ओर से नकेल कसी गयी। कहा गया कि सरकार ने गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठनों को अवैध विदेशी चंदा प्राप्त करने के कारण उनका लाइसेंस रद्द किया। धर्मांतरण के व्यापक कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश के कई संगठन बड़ी मात्रा में विदेशी चंदा प्राप्त करते रहे हैं। इसी प्रकार का कार्य करने और अराजकता तथा आतंकवाद को फैलाने के लिए कई संगठनों को सरकार की ओर से प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसे लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

इन संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी टी रविकुमार की बेंच ने कहा कि विदेशी दान प्राप्त करना पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता क्योंकि क्योंकि विदेशी योगदान का देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना और राजनीति पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है। यह देश की नीतियों को प्रभावित कर सकती है। यह राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित या थोप सकता है। याचिकाओं ने विशेष रूप से धारा 7, 12 (1ए), 12 ए और 17 (1) में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि वे स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले हैं। धारा 7 किसी भी विदेशी योगदान के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती है। धारा 12ए ने पंजीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से पहचान दस्तावेज के रूप में पदाधिकारियों/कार्यकर्ताओं/सोसाइटियों/न्यासों के निदेशकों के आधार कार्ड विवरण को अनिवार्य बना दिया। धारा 12 (1ए) और धारा 17 ने प्राप्तकर्ताओं के लिए एसबीआई खाता खोलना अनिवार्य कर दिया और केवल भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली मुख्य शाखा में विदेशी अंशदान प्राप्त करने की छूट दी। ■

एफसीआरए एक्ट में संशोधन से विदेशी चंदे के दुरुपयोग पर लगी लगाम

एफसीआरए एक्ट में बदलाव देशहित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। विदेशी चंदे का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा था एफसीआरए एक्ट में बदलाव के कारण उस पर जहां लगाम लगी, वहीं आज विदेशों से आने वाले धन का सही जगह उपयोग हो रहा है।

» ब्यूरो

देश में 1976 में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) 1976 में अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। यह अधिनियम देश में विदेशी योगदान या सहायता के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विदेशी संगठनों को देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक चर्चाओं को प्रभावित करने से रोकना था। यह अधिनियम कुछ व्यक्तियों और संगठनों को किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने से रोकता है, जिसमें राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि शामिल हैं। अधिनियम में किए गए संशोधन इस प्रकार हैं-

1984 में गैर-लाभकारी संगठनों के लिए विदेशी दान को प्राप्त करने से पहले पंजीकरण करना अनिवार्य बनाने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। वे उस पैसे को अन्य गैर-लाभकारी संस्थाओं को भी हस्तांतरित नहीं कर सकते थे, जो अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं थे। 1984 के संशोधनों द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद, एफसीआरए अधिनियम को विदेशी योगदान वाले गैर-लाभकारी संगठनों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कानून के रूप में माना जाने लगा।

2010 में 1976 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के साथ-साथ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 2010 अधिनियम का उद्देश्य था कुछ व्यक्तियों, संघों या कंपनियों द्वारा 'विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य' की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करें, राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए ऐसी स्वीकृति और उपयोग पर रोक लगाएं, संसद ने 2018 में एक संशोधन को मंजूरी दी जिसमें 'विदेशी स्रोत' शब्द की परिभाषा को संशोधित किया और राजनीतिक दलों को विदेशी फंडिंग को पूर्वव्यापी रूप से कानूनी बना दिया।

2010 के अधिनियम के तहत पंजीकरण और नवीनीकरण का परिवर्तन किया गया, जिसमें पंजीकरण पांच साल के लिए वैध है और उसके बाद इसे नवीनीकृत किया जाना चाहिए। जबकि 1976 के अधिनियम के तहत यह एक स्थायी पंजीकरण था। 2010 के अधिनियम के तहत, प्रशासनिक व्यय के लिए केवल 50 प्रतिशत विदेशी योगदान का उपयोग किया जा सकता था, जबकि 1976 के अधिनियम के तहत ऐसा कोई विशिष्ट प्रतिबंध मौजूद नहीं था।

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 को 20 सितंबर 2020 को लोकसभा में पेश किया गया था। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, यह 29 सितंबर 2020 को लागू हुआ। संशोधन विधेयक व्यापक रूप से स्वीकृति, स्थानांतरण से संबंधित शर्तों को फिर से परिभाषित करता है।

भारत ने पिछले 9 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से लालफीताशाही से लाल कालीन तक का सफर पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कुशल कर प्रणाली, निवेशक-अनुकूल नीति और परेशानी मुक्त कारोबारी माहौल बनाने के लिए आसान मंजूरी की शुरूआत की, जिससे भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का एक गंतव्य बन गया।

-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

संशोधन से बदल गई पात्रता और अपात्रता की शर्तें

विदेशी चंदा स्वीकार करने पर रोक – 2010 के एक्ट के तहत कुछ 'व्यक्तियों' को कोई विदेशी चंदा स्वीकार करने की मनाही है। इनमें चुनाव के उम्मीदवार, समाचार पत्र के संपादक या प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, किसी भी विधायिका के सदस्य और राजनीतिक दल अन्य शामिल हैं। 2020 का बिल लोक सेवकों को इस सूची में जोड़ता है। एक लोक सेवक को किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है जो सरकार की सेवा या वेतन पर है या किसी सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए सरकार द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त करता है।

पंजीकरण के लिए आधार संख्या – 2010 के एक्ट ने किसी व्यक्ति को विदेशी अंशदान स्वीकार करने की अनुमति दी थी। यदि उसके पास: (*I*) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त है, या (*II*) पंजीकृत नहीं है, लेकिन सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त की है। 2020 के संशोधन में कहा गया है कि ऐसी पूर्व अनुमति, पंजीकरण, या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए, आवेदक को पहचान दस्तावेज के रूप में अपने सभी पदाधिकारियों, निदेशकों या प्रमुख पदाधिकारियों की आधार संख्या प्रदान करनी होगी। एक विदेशी के मामले में, उन्हें पहचान के लिए पासपोर्ट या भारत के विदेशी नागरिक कार्ड की एक प्रति प्रदान करनी होगी।

विदेशी योगदान का हस्तांतरण – 2010 अधिनियम के तहत, विदेशी योगदान को किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है, जो विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए पंजीकृत है (या विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त की है) और एक सीमित सीमा तक और पूर्व के साथ अनुमति, ऐसे व्यक्ति को जो 2010 अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है। हालांकि, 2020 के संशोधन ने इस स्थिति को बदल दिया है और किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान के उपयोग पर कटौती – 2010 के अधिनियम के तहत, विदेशी योगदान का अधिकतम 50% प्राप्तकर्ता इकाई के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। 2020 के संशोधन इस सीमा को घटाकर 20% कर देते हैं।

नामित एफसीआरए खाता – 2010 के अधिनियम के तहत, विदेशी योगदान को ऐसे धन के प्राप्तकर्ता द्वारा निर्दिष्ट अनुसूचित बैंक की एक शाखा में जमा किया जाना था, लेकिन धन का उपयोग अन्य खातों से किया जा सकता था। 2020 का संशोधन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की ऐसी शाखा में 'एफसीआरए खाते' के रूप में बैंक द्वारा नामित खाते में ही धन की प्राप्ति को प्रतिबंधित करता है और कोई अन्य धन प्राप्त या जमा नहीं किया जा सकता है। इस खाते में प्राप्त अंशदान को रखने या उपयोग करने के लिए व्यक्ति अपनी पसंद के किसी भी अनुसूचित बैंक में एक और एफसीआरए खाता खोल सकता है।

विदेशी योगदान के उपयोग पर प्रतिबंध – 2010 के अधिनियम के तहत अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन का पता चलने पर, अप्रयुक्त या प्राप्त नहीं हुए विदेशी योगदान का उपयोग या प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा केवल केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ। 2020 के संशोधन स्पष्ट करते हैं कि ऐसे मामले में, सरकार किसी भी विदेशी योगदान को प्राप्त करने से इकाई को प्रतिबंधित भी कर सकती है। सरकार संक्षिप्त जांच के आधार पर और आगे कोई जांच लंबित होने पर भी कार्रवाई कर सकती है।

पंजीकरण का निलंबन – 2010 के अधिनियम के तहत, सरकार 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए किसी व्यक्ति के पंजीकरण को निलंबित कर सकती है। 2020 के संशोधन में कहा गया है कि इस तरह के निलंबन को उसके बाद अतिरिक्त 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

लाइसेंस का नवीनीकरण – 2010 के अधिनियम के तहत पंजीकरण का नवीनीकरण आमतौर पर प्रकृति में प्रक्रियात्मक था और सूचना (ऐतिहासिक जानकारी के साथ-साथ एफसीआरए धारक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की गई जानकारी) के आधार पर प्रदान किया गया था। 2020 का संशोधन केंद्र सरकार को पंजीकरण को नवीनीकृत करने से पहले आवेदक के कामकाज की नए सिरे से जांच शुरू करने की अनुमति देता है। इसलिए अनिवार्य रूप से नवीनीकरण प्रक्रिया उसी स्तर की जांच के अधीन होगी, जो प्रारंभिक पंजीकरण या अनुमोदन प्राप्त करने के समय की गई थी।

सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट – 2020 के संशोधन में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जहां कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर कर सकता है। सरकार इसकी अनुमति दे सकती है, एक जांच के बाद, खुद को संतुष्ट करने के लिए कि व्यक्ति ने अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। ■

मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) द्वारा एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत दिए गए नवीनीकरण संबंधी आवेदन को 25 दिसंबर 2021 को एफसीआरए 2010 और विदेशी अंशदान विनियमन नियम (एफसीआरआर) 2011 के तहत पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। नवीनीकरण की इस अस्वीकृति की समीक्षा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) की ओर से कोई अनुरोध / संशोधन आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। एमओसी को एफसीआरए के तहत पंजीकरण संख्या 147120001 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था और इसका पंजीकरण 31 अक्टूबर 2021 तक वैध था। इसकी वैधता को वैसे अन्य एफसीआरए संस्थाओं, जिनके नवीनीकरण संबंधी आवेदन नवीनीकरण के लिए लंबित थे, के साथ 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। एमओसी का एफसीआरए पंजीकरण 31 दिसंबर 2021 तक वैध था। गृह मंत्रालय ने एमओसी के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने जानकारी दी है कि स्वयं एमओसी ने एसबीआई से अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया था।

अवैध विदेशी चंदे पर कसा शिकंजा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब अवैध तरीके से विदेशों से लिए जाने वाले धन पर रोक लगाने की शुरुआत हुई तब यह तथ्य भी सामने आया जिसमें विदेश से प्राप्त धन का प्रयोग सरकार और विकास परियोजनाओं के विरुद्ध लोगों को भड़काने में किया गया।

» ब्यूरो

कई गैर-सरकारी स्वयंसेवी संस्थाएं अवैध तरीके विदेशी चंदा ले रही थी और उसका दुरूपयोग कर रही थी। धर्मांतरण और देश विरोधी कार्यों में इस धन का प्रयोग हो रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार इसको लेकर सरकार को रिपोर्ट किया था। जब साल 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाला, उसके बाद ही देश विरोधी गतिविधियों में शामिल और गैर-लोकतांत्रिक कार्यों में संलिप्त ऐसे कई संगठनों की पहचान की गई। इन सभी संगठनों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए। उसमें एक महत्वपूर्ण कदम एफसीआरए के प्रावधान में संशोधन करना रहा।

सच्चाई यह है कि मानवाधिकार, गरीबी, शिक्षा, कुपोषण और नागरिक अधिकारों के नाम पर भारत में विदेशी षड्यंत्र लंबे समय से फल-फूल रहे हैं। मामला चाहे नक्सलियों के समर्थन का हो या परमाणु और कोयले से जुड़ी विकास परियोजनाएं, कुछ एनजीओ ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को अवरुद्ध करने का काम ही किया है। सिविल सोसायटी की आड़ में प्रतिक्रियावादी तत्वों की भूमिका को राष्ट्रीय संदर्भ में गंभीरतापूर्वक समझने की जरूरत है।

सरकार के समक्ष ऐसे तमाम प्रकरण सामने आए हैं जिनमें विदेश से प्राप्त धन का प्रयोग सरकार और विकास परियोजनाओं के विरुद्ध लोगों को भड़काने में किया गया। हाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 एनजीओ को चिन्हित किया था, जो रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश कराने, उन्हें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रावधानों के अनुरूप कतिपय दस्तावेज उपलब्ध कराने का काम कर रहे थे। रोहिंग्या के मामले में सक्रिय अधिकतर एनजीओ दिल्ली में समाजकर्म के नाम पर पंजीकृत हैं। अल्पसंख्यक, मानवाधिकार हनन, आदिवासी, कश्मीर, पूर्वोत्तर मुद्दों पर अध्ययन

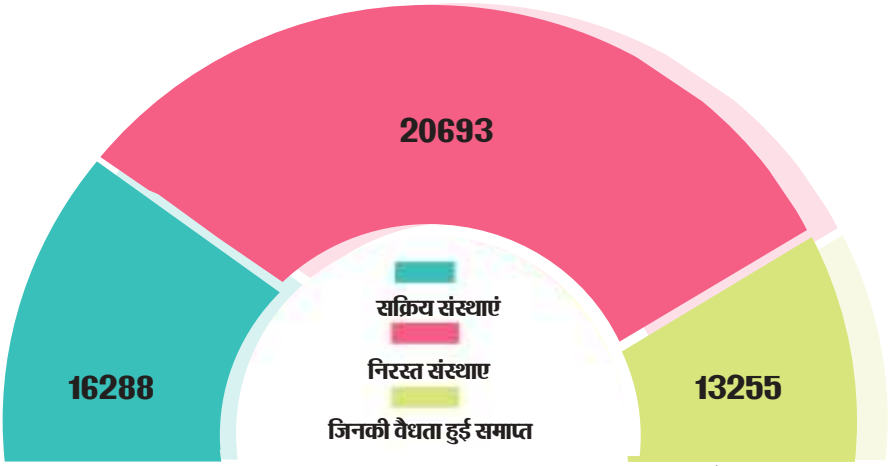

आंकड़ें 10 जून 2023 तक

के नाम पर भारत को बदनाम करना इस तंत्र का मुख्य व्यवसाय भी बन गया है। तमाम संगठनों पर मतांतरण और समाज तोड़ने के कुत्सित एजेंडे पर काम करने के आरोप हैं। अधिकांश बड़े एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आश्रय के नाम पर छोटे एनजीओ को यह राशि ट्रांसफर कर देते हैं।

एफसीआरए संशोधन कानून पर देश के कई एनजीओ ने इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च अदालत ने विदेशी चंदे के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा धन का दुरुपयोग नहीं किया जाए।

कई शिकायतों के बाद मई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की सहमति मिलने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोयंबटूर, मैसूर और राजस्थान के कुछ स्थानों सहित लगभग 40 स्थानों पर विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के कथित उल्लंघनों पर छापेमारी की थी। अभियान के दौरान यह पता चला था कि कई एनजीओ के प्रतिनिधियों और बिचौलियों ने एफसीआरए, 2010 के उल्लंघन में विदेशी चंदे की सुविधा के लिए पैसे का आदान-प्रदान किया था। गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और बिचौलियों के खिलाफ लगभग 40 स्थानों पर विदेशी चंदा के नियमों का उल्लंघन करने के लिए तलाशी अभियान चलाया।

केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने सीबीआई निदेशक को एक पत्र लिख कर रिश्वतखोरी से जुड़े गिरोह की जांच करने की मांग की थी। इसके बाद विभिन्न संदिग्धों की निगरानी शुरू की गई। सीबीआई ने 10 मई, 2022 को देशव्यापी व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया था, जिसमें मंत्रालय की एफसीआरए इकाई के छह अधिकारियों सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप पत्र के मुताबिक ये अधिकारी कथित तौर पर एफसीआरए के लंबित आवेदनों के विवरण मांगा करते थे और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग करते थे। सीबीआई ने एफसीआरए के उल्लंघन के मामलों में 437 फोन कॉल टैप किये, जिससे प्रदर्शित होता है कि आरोपी अधिकारी बिचौलियों के साथ सांठ-गांठ कर एनजीओ के विदेशी चंदा में कथित तौर पर पांच से 10 प्रतिशत के बीच रिश्वत मांग रहे थे। सीबीआई ने मामले के सिलसिले में हाल में चार आरोप पत्र दाखिल

किये थे। साथ ही, निकट भविष्य में पूरक आरोप पत्र दाखिल करने का विकल्प मौजूद रखने के साथ-साथ एक व्यापक साजिश की अपनी जांच खुली रखी है। टैप की गई बातचीत के अलावा, सीबीआई ने 12 पेन ड्राइव और करीब 50 मोबाइल फोन भी जब्त किये हैं। इससे जांच एजेंसी को वित्तीय लेनदेन और मंत्रालय में कथित रिश्वत गिरोह के कामकाज के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हुई है।

आरोपियों के टैप किए गए कॉल और व्हाट्सऐप पर की गई बातचीत से मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई ने मंत्रालय की एफसीआरए इकाई से रिकार्ड एकत्र किए। इस गिरोह का भंडाफोड़ उस समय हुआ, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय को एफसीआरए इकाई में संचालित हो रहे तीन रिश्वत गिरोह के बारे में सूचना मिली थी। यह सूचना इतनी पुख्ता थी कि स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने तुरंत इसकी सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

असल में, विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 2010 व्यक्तियों, संघों और कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम के तहत, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, कुछ व्यक्तियों को किसी भी विदेशी अंशदान को स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है। विधेयक इसमें लोक सेवक की श्रेणी जोड़ता है। इनमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो सरकार की सेवा या वेतन पर है, या किसी सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए सरकार द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त करता है। अप्रैल, 2023 में गृह मंत्रालय ने आक्सफेम संस्था के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की। विदेशों से चंदा लेने के मामले में नियमों का उल्लंघन हुआ था, जिस बारे में जांच की जा रही थी। गृह मंत्रालय की सिफारिश में कहा गया कि ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने के बाद भी विदेशी चंदे को अलग-अलग संस्थाओं को ट्रांसफर करना जारी रखा, जबकि कानून के तहत यह प्रतिबंधित है। गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर लगातार अवैध तरीके से एफसीआरए कानून का उल्लंघन करके जो एनजीओ पैसा जुटा रही है, उनके खिलाफ गृह मंत्रालय द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है।

एक मामला प्रकाश में आया था खुर्रम परवेज का, जिसने अपने संगठन जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसायटी (JKCCS) के माध्यम से करीब दो दशकों तक पाकिस्तानी गुर्गे के रूप में काम किया। उसने स्थानीय कश्मीरियों को आतंकवादियों के रूप में भर्ती करने और उन्हें वित्तपोषण करने में सहायता की। खुर्रम परवेज और उसके एनजीओ के लिए भारत के अंदर से मिले किसी भी संभावित समर्थन से इनकार नहीं किया जा सकता है। एनआईए ने खुर्रम परवेज को 22 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था। उसके घर और श्रीनगर में जेकेसीसीएस कार्यालय में दिन भर तलाशी ली गई। बरामदगी में भारत विरोधी प्रचार सामग्री, भारतीय सेना के बारे में विवरण, संवेदनशील स्थान, रणनीतिक संपत्ति, हिजबुल मुजाहिदीन सहित पाक स्थित आतंकवादी संगठनों के नेताओं के विजिटिंग कार्ड शामिल थे।

जांच ने कई तथाकथित गैर-सरकारी संगठनों / ट्रस्टों के धर्मार्थ गतिविधियों के नाम पर भारत और विदेशों में धन जुटाने/प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग और जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इसका उपयोग करने का खुलासा किया। जम्मू-कश्मीर में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की आड़ में काम करते हुए, परवेज भोले-भाले कश्मीरी युवाओं का शिकार करता था और इन गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों में धकेलता था। जेकेसीसीएस का भारत के एफसीआरए के तहत कोई पंजीकरण नहीं पाया गया। नियामक निरीक्षण की कमी ने आतंकवादी गतिविधियों की सहायता के लिए विदेशों से धन तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान की। जेकेसीसीएस के तहत कई फर्जी एनजीओ खोले गए, जिनका इस्तेमाल विदेशी धन प्राप्त करने और काले धन के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त रास्ते के रूप में किया गया। कश्मीरी महिला शांति और निरस्त्रीकरण के लिए पहल (केडब्लूआईपीडी) नाम का ऐसा ही एक संगठन धरातल पर मौजूद ही नहीं था।

विदेशी धन से चलने वाले कुछ एनजीओ के तेवर क्रांतिकारी और व्यवस्था-विरोधी भी होते हैं। वैश्वीकरण के विरोध में विश्व सामाजिक मंच तथा एशियाई सामाजिक मंच जैसे आयोजनों में भी उनकी प्रमुख भूमिका रहती है। कहीं-कहीं पर किसी मुद्दे विशेष पर जन-आंदोलन खड़ा करने में भी उनकी भूमिका रहती हैं, हालांकि कुछ आंदोलन सचेत रुप से सतर्कतापूर्वक स्वयं को विदेशी संस्थागत फंडिंग से अलग रखते हैं। ■

एफसीआरए के तहत पंजीकृत संस्थाओं को मिला फंड

मार्च, 2023 में राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने बताया था कि पिछले तीन वर्षों में भारतीय एनजीओ को कुल 55,449 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में एनजीओ द्वारा 16,306.04 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की गई 2020-21 में 17,058.64 करोड़ रुपये और 2021-22 में 22,085.10 करोड़ रुपए दिल्ली स्थित एनजीओ को सबसे ज्यादा 13,957.84 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली, इसके बाद तमिलनाडु (6,803.72 करोड़ रुपये), कर्नाटक (7,224.89 करोड़ रुपए) और महाराष्ट्र (5,555.37 करोड़ रुपए) का नंबर आता है। जिन एनजीओ को विदेशी फंडिंग मिली, वे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत रजिस्टर्ड थे। केंद्र ने पिछले पांच सालों में कानूनों के उल्लंघन के लिए 1,827 एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया है। 10 मार्च तक, 16,383 एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण प्रमाण पत्र वैध है, जिनमें से 14,966 संघों ने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनिवार्य वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत की है। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। एफसीआरए पंजीकृत संघों द्वारा विदेशी योगदान के दुरूपयोग या विचलन के संबंध में, ऐसी शिकायतों को अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निपटाया जाता है।

अब पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया हुई आसान

» ब्यूरो

एक बार एफसीआरए पंजीकरण हो जाने के बाद यह पांच साल की अवधि के लिए वैध होता है। पंजीकरण को वैध रखने के लिए, एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन समाप्ति की तारीख से 6 महीने पहले किया जा सकता है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) में केंद्र सरकार द्वारा साल 2020 में कई प्रकार के संशोधन किए गए। इससे आवदेनकर्ताओं को पहले से अधिक आसानी हुई। ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण प्रक्रियाओं के शुरुआत से इसमें पारदर्शिता आई है। यह डिजीटल प्रक्रिया कागजी कार्रवाई को कम करती है, त्रुटियों की संभावना को कम करती है और समग्र पंजीकरण प्रक्रिया को तेज करती है। ऑनलाइन भुगतान तंत्र की शुरुआत ने शुल्क भुगतान प्रक्रिया को भी पहले से अधिक सरल बना दिया है। एफसीआरए का उद्देश्य विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के लिए विदेशी धन और विदेशी आतिथ्य को विनियमित करना है। यदि आप विदेशी संस्थानों और नागरिकों से धन प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं तो यह एफसीआरए पंजीकरण फॉर्म आवश्यक है। एफसीआरए नियमन करता है कि विदेशी चंदा घरेलू राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित नहीं करता है। इस विशेष परिदृश्य में, आवेदक को उन्हें कुछ प्रोत्साहन देने और उन्हें आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि दान पूरी तरह से आवेदक को प्रदान किया जाएगा और उनमें से अधिकांश को करों के लिए निर्देशित नहीं किया जाएगा।

अयोग्यता के लिए मानदंड

निम्नलिखित शर्तों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एफसीआरए पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए एक गैर सरकारी संगठन के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है:

- एनजीओ काल्पनिक और अस्तित्वहीन है।
- एनजीओ आवेदक ने प्रलोभन या बल के माध्यम से धर्म परिवर्तन की गतिविधियों में अवैध रूप से लिप्त होने के संबंध में अभियोजन या सजा का सामना किया है।
- एनजीओ देश के किसी भी हिस्से में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए प्रमुख अभियुक्तों या दोषियों में से एक है।
- एनजीओ ने विदेशी फंड को डायवर्ट या दुरुपयोग किया है।
- एनजीओ ने अपने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए राजद्रोह को बढ़ावा दिया है और हिंसा को उकसाया है।
- व्यक्तिगत लाभ के लिए विदेशी योगदान का उपयोग करने या अवांछनीय उद्देश्यों के लिए इसे डायवर्ट करने की संभावना नहीं है।
- एनजीओ ने एफसीआरए अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है।

- आरबीआई ने एनजीओ को किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है।
- एनजीओ के निदेशकों या पदाधिकारियों को कानून के तहत दोषी ठहराया गया है और उनके खिलाफ कोई मुकदमा लंबित नहीं है।

यदि कोई संगठन एफसीआरए नियमों का दोषी पाया जाता है, तो उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें निकट भविष्य में कोई भी विदेशी धन प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा। एफसीआरए नियमों के दोषी पाए जाने पर संगठनों को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। यह उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में किसी भी विदेशी धन को प्राप्त करने से रोकेगा. किसी भी व्यक्ति या संगठन को एफसीआरए नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर छह महीने तक कारावास की सजा दी जा सकती है।

गृह मंत्रालय का नोटिस एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ाने के लिए एक आधार के रूप में जनहित का हवाला देता है। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस जिनकी नवीनीकरण याचिका पहले ही ठुकरा दी गई है, उन्हें उसी दिन से समाप्त माना जाएगा। यही नहीं, वह संस्था किसी भी विदेशी योगदान को प्राप्त करने या उपयोग करने के लिए अयोग्य हो जाएगी।

गृह मंत्रालय की एफसीआरए वेबसाइट के अनुसार, 23 सितंबर 2022 तक 16,641 एनजीओ और एसोसिएशन सक्रिय हैं, जबकि 12,801 संस्थाओं का एफसीआरए लाइसेंस समाप्त हुआ है। वहीं विदेशी धन प्राप्त करने के लिए अन्य 20,684 गैर सरकारी संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। सरकार ने उन गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस की वैधता भी बढ़ा दी है, जिनकी पांच साल की वैधता अवधि 1-10-2022 से 31-03-2023 के बीच समाप्त हो रही है और जिनके आवेदन 5 साल की वैधता खत्म होने से पहले नवीनीकरण के लिए लंबित हैं, उन्हें भी 31 मार्च 2023 तक या उनके आवेदन के निपटारे तक, इसमें जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है। ये इसलिए किया गया है, ताकि सख्त एफसीआरए व्यवस्था को आसान किया जा सके। ■

भारत में एफसीआरए पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड

- एनजीओ की आय और संपत्ति विशेष रूप से दान के लिए समर्पित होनी चाहिए।
- एनजीओ के लिए उचित पुस्तकों को बनाए रखा जाना चाहिए।
- किसी विशेष समुदाय, धर्म या जाति को लाभ पहुंचाने के लिए एनजीओ का गठन नहीं किया जाना चाहिए।
- एनजीओ का मुख्य उद्देश्य धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। इसके अलावा, पूरी आय स्वयं दान से होनी चाहिए।
- एफसीआरए पंजीकरण का विकल्प चुनने से पहले एनजीओ लगभग 3 साल से काम कर रहा होगा।

शुद्धि-पत्र

सजग भारत के चौथे संस्करण में 'फॉरेंसिक साइंस का असर, बढ़ेगी दोषसिद्धि दर' पृष्ठ संख्या 9 पर प्रकाशित बॉक्स 'डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक-2019 से लाभ' गलती से 'विधेयक लोकसभा में पारित' लिखा गया है। जबकि विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। भूल के लिए खेद है -संपादक

भारत में डिजिटलीकरण एक क्रांतिकारी परिवर्तन लायाः पीएम

'ग्लोबल साउथ के देशों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य योजना के बारे में दुनिया को एक ठोस संदेश भेजना चाहिए'

» ब्यूरो

भारत इस बार जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है। यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। जब विश्व के विकास मंत्रियों की बैठक काशी जैसे ऐतिहासिक-पौराणिक नगरी में हुई, तो यह भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में एक प्रतिमान के रूप में देखी गयी। इसको लेकर स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह शहर जहां सदियों से ज्ञान, चर्चा, विचार-विमर्श, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है, वहीं इसमें भारत की विविध विरासत का सार भी है, जो देश के सभी हिस्सों के लोगों के लिए एक मिलन बिंदु के रूप में कार्य करता है।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी की भावना को भारत की कालातीत परंपराओं से ऊर्जा मिलती है। उन्होंने काशी की भावना का पता लगाने और उसका अनुभव करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। एजेंडा 2030 को बढ़ावा देने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु इस विचार-विमर्श की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

जी-20 के विकास मंत्रियों की बैठक काशी (वाराणसी) में 12 जून को हुई। प्रधानमंत्री ने इसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि हमारे प्रयास व्यापक, समावेशी, निष्पक्ष और टिकाऊ होने चाहिए और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने हेतु निवेश बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही, कई देशों द्वारा सामना किए जा रहे ऋण संबंधी जोखिमों को दूर करने के लिए समाधान खोजे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पात्रता संबंधी मानदंड का विस्तार करने हेतु बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों में सुधार किया जाना चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों के लिए वित्त सुलभ होना सुनिश्चित हो सके। भारत में हमने उन सौ से अधिक आकांक्षी जिलों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास किए हैं जो अल्प-विकास वाले पॉकेट थे। ये आकांक्षी जिले अब देश में विकास के उत्प्रेरक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने जी-20 विकास मंत्रियों से विकास के इस मॉडल का अध्ययन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, 'यह आपके लिए प्रासंगिक हो सकता है, क्योंकि आप एजेंडा 2030 को गति देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'ग्लोबल साउथ के देशों के लिए विकास एक मुख्य मुद्दा है।' उन्होंने बताया कि ग्लोबल साउथ के देश जहां वैश्विक कोविड महामारी से उत्पन्न व्यवधानों से गंभीर रूप से प्रभावित हुए, वहीं भू-राजनैतिक तनाव उनके खाद्यान्न, ईंधन और उर्वरक संकट के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय संपूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को पीछे नहीं छूटने देना लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि भारत भागीदार देशों के साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए तैयार है और आशा व्यक्त की कि इन चर्चाओं की तार्किक परिणति विकासशील देशों में चर्चा, विकास और वितरण हेतु डेटा को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कार्रवाई के रूप में होगी। बढ़ते डेटा विभाजन के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्थक नीति-निर्माण, कुशल संसाधन आवंटन और प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए उच्च गुणवत्ता वाला डेटा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि डेटा विभाजन को पाटने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण एक महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रधानमंत्री ने विस्तार से समझाते हुए कहा कि भारत में डिजिटलीकरण एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है जहां प्रौद्योगिकी का उपयोग एक उपकरण के रूप में लोगों को सशक्त बनाने, डेटा को सुलभ बनाने और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत महिला सशक्तिकरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास तक है। महिलाएं विकास का एजेंडा तय कर रही हैं और वे विकास एवं परिवर्तन की वाहक भी हैं। उन्होंने सभी से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए परिवर्तनकारी कार्य योजना को अपनाने का आग्रह किया। ■

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

जलवायु परिवर्तन के प्रति प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में इस पहल को मिलने वाला समर्थन बढ़ रहा है।

हजारों साल पुरानी संस्कृति में प्रकृति भी और प्रगति भी

» ब्यूरो

वर्ष 2023 के पर्यावरण दिवस की थीम-एकल-उपयोग प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत पिछले 4-5 वर्षों से इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। एक तरफ हमने एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, तो दूसरी तरफ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण को अनिवार्य कर दिया गया है।'

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 21वीं सदी का भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक बहुत स्पष्ट रोडमैप के साथ आगे बढ़ रहा है। यह रेखांकित करते हुए कि भारत ने वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य के विजन के बीच एक संतुलन स्थापित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब व्यक्ति को भी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है, जबकि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े कदम उठाए गए हैं। पिछले 9 वर्षों के दौरान, भारत ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। सौर ऊर्जा और एलईडी बल्बों के इस्तेमाल ने लोगों के पैसे बचाने के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा में भी योगदान दिया है। वैश्विक महामारी के दौरान भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने मिशन हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम शुरू किया और रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी और पानी को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती की दिशा में बड़े कदम उठाए।

पिछले 9 वर्षों में, भारत में आर्द्रभूमि और रामसर स्थलों की संख्या पहले की तुलना में लगभग 3 गुनी बढ़ गई है। दो और योजनाएं शुरू की गई हैं, जो हरित भविष्य; हरित अर्थव्यवस्था अभियान को आगे बढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत धरोहर योजना' शुरू हो गई है, जो जनभागीदारी के जरिये इन रामसर स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया कि भविष्य में ये रामसर स्थल, पर्यावरण-पर्यटन का केंद्र बनेंगे और हजारों लोगों के लिए हरित रोजगार का स्रोत बनेंगे। दूसरी योजना, 'मिष्टी योजना' है, जो देश के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने और उसकी रक्षा करने में मदद करेगी। इस योजना से देश के 9 राज्यों में मैंग्रोव कवर को बहाल किया जाएगा और इससे समुद्र के बढ़ते स्तर तथा चक्रवात जैसी आपदाओं से तटीय क्षेत्रों में जीवन और आजीविका पर बढ़ते खतरे को कम करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के हर देश को निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर विश्व जलवायु के संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के बड़े और आधुनिक देशों में लंबे समय से प्रचलित विकास-मॉडल 'पहले देश का विकास करना और फिर पर्यावरण की चिंता करना' की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि भले ही ऐसे देशों ने विकास के लक्ष्यों को हासिल कर लिया हो, लेकिन पूरे विश्व के पर्यावरण को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। आज भी, दुनिया के विकासशील और अविकसित देश कुछ विकसित देशों की त्रुटिपूर्ण नीतियों का नुकसान झेल रहे हैं। भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति में, प्रकृति के साथ-साथ प्रगति भी मौजूद है। प्रधानमंत्री ने इसकी प्रेरणा का श्रेय पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था पर भारत के ध्यान को दिया। भारत अपनी अवसंरचना में अभूतपूर्व निवेश कर रहा है तथा पर्यावरण पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है। अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी में वृद्धि की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री ने एक ओर 4जी और 5जी कनेक्टिविटी के विस्तार और दूसरी ओर देश के वन आवरण में हुई वृद्धि का उदाहरण दिया। जहां भारत ने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर निर्मित किये हैं, वहीं भारत में वन्यजीव अभयारण्यों के साथ-साथ वन्यजीवों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। भारत, आपदा सहनीय अवसंरचना गठबंधन - सीडीआरआई और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस जैसे संगठनों का भी आधार-स्तंभ बन गया है।

मिशन लाइफ यानि पर्यावरण के लिए जीवनशैली के एक जन-आंदोलन बनने के बारे में प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि यह मिशन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवन शैली में बदलाव के बारे में एक नई चेतना फैला रहा है। पिछले साल गुजरात के केवड़िया-एकता नगर में जब मिशन की शुरुआत हुई थी, तो लोगों में इसके प्रति उत्सुकता थी, लेकिन एक महीने पहले मिशन लाइफ को लेकर एक अभियान शुरू किया गया था, जहां 30 दिनों से भी कम समय में 2 करोड़ लोग इसका हिस्सा बने। उन्होंने 'मेरे शहर को जीवन प्रदान करना' की भावना से रैलियों और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के आयोजन की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा, 'लाखों सहयोगियों ने अपने रोजमर्रा के जीवन में कटौती, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण के मंत्र को अपनाया है। मिशन लाइफ का मूल सिद्धांत दुनिया को बदलने के लिए व्यक्ति की प्रकृति में बदलाव लाना है।'

जलवायु परिवर्तन के प्रति यह चेतना केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में इस पहल को मिलने वाला वैश्विक समर्थन बढ़ रहा है। पिछले साल पर्यावरण दिवस पर विश्व समुदाय से व्यक्तियों और समुदायों में जलवायु-अनुकूल व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए अभिनव समाधान साझा करने का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि लगभग 70 देशों के छात्रों, शोधकर्ताओं, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, पेशेवरों, गैर सरकारी संगठनों और आम नागरिकों सहित हजारों सहयोगियों ने अपने विचार और समाधान साझा किए, जिन्हें अपनाया जा सकता है व हासिल किया जा सकता है। ■

सुशासन और आत्मनिर्भरता के साथ एक विकसित भारत की आकांक्षा

आजादी के अमृत काल में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूर्ण होना एक प्रेरक अवसर है। इतने वर्षों के बाद भी उनके द्वारा स्थापित मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह यात्रा छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों के भारत के निर्माण की होगी, स्वराज, सुशासन और आत्मनिर्भरता की होगी। यह एक विकसित भारत की यात्रा होगी। शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता को समाप्त कर लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया।

» ब्यूरो

सा ढ़े तीन सौ साल पहले जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तब उसमें स्वराज्य और राष्ट्रवाद की भावना समाहित थी। शिवाजी महाराज ने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने को सर्वोपरि महत्व दिया। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों के प्रतिबिंब को एक भारत, श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। राष्ट्रीय कल्याण और लोक कल्याण शिवाजी महाराज के शासन के मूल तत्व रहे हैं। स्वराज की पहली राजधानी रायगढ़ किले के प्रांगण में एक भव्य आयोजन एक उत्सव के रूप में पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस की 350वीं वर्षगांठ को संबोधित करते हुए नागरिकों को प्रेरित किया और उन्हें आत्मविश्वासी बनने की सीख देते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के समय देश के आत्मविश्वास के स्तर की कल्पना की जा सकती है। उन्होंने उल्लेख किया कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कारण नागरिकों का विश्वास न्यूनतम स्तर पर था जब आक्रमणकारियों के आक्रमण और शोषण के साथ-साथ गरीबी ने समाज को कमजोर बना दिया था।

हमारे सांस्कृतिक केंद्रों पर हमला करके लोगों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, बल्कि जनता में यह विश्वास भी जगाया कि स्वशासन एक संभावना है। शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता को समाप्त कर लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। शिवाजी महाराज से प्राप्त प्रेरणा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष नौसेना को गुलामी के चिह्न से मुक्त कर दिया था, क्योंकि अब ब्रिटिश शासन की पहचान के साथ भारतीय नौसेना के झंडे को शिवाजी महाराज के प्रतीक द्वारा बदल दिया गया था। अब यह ध्वज समुद्र और आकाश में नए भारत के गौरव का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास में ऐसे कई शासक हुए हैं, जो सेना में अपने प्रभुत्व के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी प्रशासनिक क्षमता कमजोर थी और इसी तरह कई शासक जो अपने उत्कृष्ट शासन के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका सैन्य नेतृत्व कमजोर था। इन मामलों में छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व शानदार था, क्योंकि उन्होंने 'स्वराज' के साथ ही 'सुराज' की स्थापना भी की थी। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि शिवाजी महाराज ने बहुत कम उम्र में किलों को जीत कर दुश्मनों को परास्त कर अपने सैन्य नेतृत्व का उदाहरण दिया, वहीं दूसरी ओर एक राजा के रूप में उन्होंने लोक प्रशासन में सुधारों को लागू कर सुशासन की राह भी दिखाई। एक ओर उन्होंने आक्रमणकारियों से अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा की वहीं दूसरी ओर उन्होंने राष्ट्र निर्माण का एक व्यापक दृष्टिकोण सामने रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने विशिष्ट दृष्टिकोण के कारण इतिहास के अन्य नायकों से पूरी तरह से अलग हैं। उन्होंने शासन के अपने लोक कल्याणकारी चरित्र का पालन किया जिसने आश्वासन दिया कि लोग स्वाभिमान के साथ जीते हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज, धर्म, संस्कृति और विरासत को ठेस पहुंचाने की कोशिश करने वालों को एक कड़ा संदेश भी दिया जिससे लोगों में विश्वास बढ़ा और आत्मनिर्भरता की भावना का प्रचार हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश के प्रति सम्मान बढ़ा है। चाहे वह किसान कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, या शासन को आम आदमी तक पहुँचाने की बात हो, उनकी शासन प्रणाली और नीतियां आज भी समान रूप से प्रासंगिक हैं। ■

बिपरजॉय तूफान

केंद्र की तैयारियों और सतर्कता ने बचाई हजारों लोगों की जान

बिपरजॉय चक्रवात की चेतावनी मिलने के बाद ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया और संबंधित विभागों के साथ मंत्रणा कर इस बात को सुनिश्चित किया कि इसमें कम से कम नुकसान हो। इसका परिणाम यह रहा कि भीषण चक्रवात के बावजूद एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई।

» ब्यूरो

कुदरत का कहर था चक्रवात तूफान 'बिपरजॉय'। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार विशेषकर गृह मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर रखी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी गुजरात सरकार के संबंधित विभागों से लगातार संपर्क में थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का स्पष्ट निर्देश था कि तूफान से निपटने में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। तूफान प्रभावित लोगों का राहत व बचाव कार्य युद्धस्तर पर किया जाए।

गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के निकट शक्तिशाली चक्रवात बिपरजॉय के संभावित आगमन से दो दिन पहले अधिकारियों ने तटीय क्षेत्रों से करीब 30,000 लोगों को अस्थायी आश्रय स्थलों में स्थानांतरित कर दिया था। इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीम तैयार की गई। इसके साथ ही सेना के अधिकारियों ने नागरिक प्रशासन और एनडीआरएफ के साथ संयुक्त रूप से राहत कार्यों की योजना भी बनाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात 'बिपरजॉय' से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और गुजरात के मंत्रालयों/एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि संवेदनशील स्थानों पर रहने वाले लोगों को गुजरात सरकार द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल आदि सभी आवश्यक सेवाओं का रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। नुकसान की स्थिति में ये सेवाएं तुरंत बहाल की जाएं। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि पशुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे कार्य करने का निर्देश भी दिया। 'बिपरजॉय' पर पैनी नजर रखने के लिए गृह मंत्रालय 24 घंटे स्थिति की समीक्षा की और गुजरात सरकार और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क में रहा। इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की भी सहायता ली गई। इसके 12 दलों को पहले से तैनात किया है, जो नावों, पेड़ काटने वाले और दूरसंचार के उपकरणों से लैस हैं। इसके अलावा 15 टीमों की अतिरिक्त तैनाती की गई।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा किए गए काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि एनडीआरएफ की 19, एसडीआरएफ की 13 और रिजर्व 2 बटालियन ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने

इतने बड़े बिपरजॉय तूफान में एक भी व्यक्ति की जान न जाना अत्यंत संतोष की बात है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन में भारत के "Zero casualty approach" का परिणाम है।

-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

का काम किया। सेना, नौसेना, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, स्टेट रिजर्व पुलिस और राज्य पुलिस ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ पूरे समन्वय के साथ काम किया।

चक्रवात नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिकता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात सरकार से संवेदनशील स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले

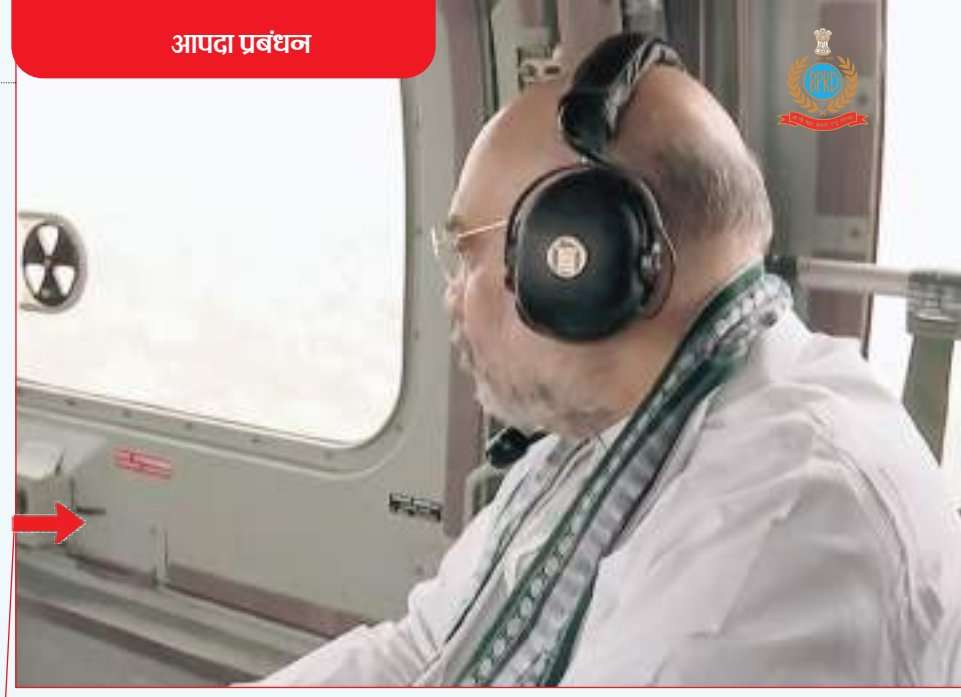

बिपरजॉय चक्रवात के बाद हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हवाई सर्वेक्षण किया, राहत शिविरों में भी गए, चक्रवात से नुकसान हुई फसल का भी जायजा लिया।

जाने की व्यवस्था करने और बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य तथा पेयजल जैसी सभी आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा। इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, दो केंद्रीय मंत्रियों, गुजरात के कई मंत्रियों और चक्रवात से प्रभावित होने की आशंका वाले आठ जिलों के सांसद, विधायक और अधिकारियों ने भाग लिया। यह तुफान कहर नहीं मचाए, इसके लिए हर कदम पर सुरक्षा को अपनाया गया। इसकी बानगी, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना हैं। इसके तहत राहत, खोज और बचाव कार्यों के लिए जहाजों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया। नौकाओं और बचाव उपकरणों से लैस वायुसेना और इंजीनियर कार्य बल की इकाइयां आवश्यकता पड़ने पर तैनाती के लिए तैयार की गई। निगरानी विमान और हेलीकॉप्टर तट पर लगातार निगरानी की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य चक्रवाती तुफान 'बिपरजॉय' से होने वाले संभावित नुकसान को कम से कम करना और इससे 'जीरो कैजुअल्टी' हो यह सुनिश्चित करना है।

15 जून को जब चक्रवात आया, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात में भुज से मांडवी और जखाऊ तक चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मांडवी में केंद्रीय

एनडीआरएफ ने एक बार फिर दिखाई दिलेरी

14 जून को ही गुजरात के तटीय जिलों में संभावित चक्रवात बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जैसे ही चक्रवात को लेकर जानकारी दी, उसके बाद से दिल्ली में मौसम विज्ञान विभाग में एक वॉर रूम बना दिया गया और उसके बाद एनडीआरएफ ने गुजरात की एसडीआरएफ के साथ मिलकर तटीय इलाकों में मोर्चा संभाल लिया। चक्रवाती तूफान के लिए सिस्टम और अधिक सतर्क हो गया। गुजरात में आए चक्रवाती तूफान के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और संबंधित सभी एजेंसियों के बीच बहुत अच्छा समन्वय था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इतने बड़े तूफान से निपटने में मिली सफलता मजबूत और सफल आपदा प्रतिरोध और प्रबंधन की कहानी को दर्शाती है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के गठन से लेकर एनडीआरएफ को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए उठाए गए कदमों तक, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता, आपदा के दौरान कोई भी हताहत नहीं हुआ, यह एक मिसाल ही है। एनडीआरएफ के सतर्कता और कुशलता की वजह से बिपरजॉय ही नहीं, अन्य चक्रवातों में भी जानमाल के नुकसान में लगभग 98% की कमी आई है। ऐसा आपदा से पहले की तैयारियों की वजह से संभव हो सका। सरकार का भी संकल्प है कि प्राकृतिक आपदाओं को टालना भले ना संभव हो, लेकिन मनोरथ और पुरुषार्थ के दम पर इन आपदाओं से होने वाली क्षति को तो कम किया ही जा सकता है। आपदा के तुरंत बाद तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अपेक्षित सामग्री सूची को तैयार रखने के लिए 250 करोड़ रुपए के रेवॉल्विंग फण्ड के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन रिजर्व (एनडीआरआर) बनाया गया है। इसी प्रकार आपदा मित्र योजना को 350 बहु-जोखिम आपदा संभावित जिलों में लागू किया गया है।

गृह मंत्री ने सिविल अस्पताल का दौरा किया, जहां चक्रवात आने से पहले गर्भवती महिलाओं को लाया गया था। अस्पताल के वार्डों का दौरा किया और गर्भवती महिलाओं और उन महिलाओं से बात की, जिन्होंने चक्रवात के दौरान बच्चों को जन्म दिया। एक गांव का दौरा भी किया और उन किसानों से मुलाकात की, जिनकी फसल को चक्रवात के कारण नुकसान पहुंचा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान बिपरजॉय में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई, ये बहुत संतोष की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निरंतर गृह मंत्रालय, गुजरात सरकार और सभी ऐजेंसियों का मार्गदर्शन किया और इस आपदा से कम से कम नुकसान के साथ बाहर आना टीम वर्क का एक क्लासिक उदाहरण है। भारत सरकार और गुजरात के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने समग्रता के साथ मिलकर बिपरजॉय का सामना किया। एक भी मानव मृत्यु नहीं होना पूरे तंत्र की सफलता को दर्शाता है और ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि समय पर सूचना का उपयोग कैसे करें। इस तूफान में सिर्फ 47 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं और 234 पशुओं की मृत्यु हुई है। साइक्लोन के मद्देनजर 3400 गांवों

एनडीआरएफ के जवानों ने दिखाई दिलेरी, लोगों को किया आगाह और पहुंचाया सुरक्षित स्थानों पर

श्री अमित शाह ने तूफान के बाद अस्पतालों का दौरा किया जहां गर्भवती महिलाओं और बूजुर्गों को रखा गया था।

में बिजली आपूर्ति रोकी गई थी, उनमें से 1600 गांवों में आपूर्ति को 24 घंटे से भी कम समय में बहाल कर दिया गया है और 20 जून तक सभी गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। तैयारी इतनी काबिलेतारीफ थी कि तूफान आने से पहले ही 1206 गर्भवती महिलाओं को संवेदना के साथ सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया और उन सभी महिलाओं ने उन्हें दी गई सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस आपदा के दौरान 707 सफल प्रसव हुए हैं। इसके अलावा कुल 1,08,208 नागरिकों और 73,000 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 3,27,890 वृक्षों की समय पर छंटाई कर दी गई थी ताकि तूफान के दौरान तेज हवा के कारण पेड़ ना गिरें। सभी जिलों में कुल 4317 होर्डिंग्स को समय पर हटा लिया गया। लगभग 21,585 नौकाओं को समय पर समुद्र से निकाल लिया गया था और एक लाख से अधिक मछुआरों को तट पर लाकर उनकी जान बचाने का काम किया गया।

साइक्लोन से पहले और उसके दौरान की गई तैयारियों और व्यवस्था के लिए श्री अमित शाह ने गुजरात सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि समय पर मिली सूचना का उपयोग, जानमाल को बचाने के लिए कैसे हो सकता है, गुजरात सरकार ने इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। गुजरात सरकार ने एनडीएमए के साइक्लोन से संबंधित दिशा-निर्देशों को भी पूरी तरह जमीन पर उतारा जिसमें सरकारी विभागों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने पूरा योगदान दिया। भुज में ही एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एक भी मानव मृत्यु नहीं होना पूरे तंत्र की सफलता को दशार्ता है और ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि समय पर सूचना का उपयोग कैसे करें।

श्री अमित शाह ने चक्रवात से पहले और उसके दौरान की गई तैयारियों और व्यवस्था के लिए गुजरात सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि समय पर मिली सूचना का उपयोग, जानमाल को बचाने के लिए कैसे हो सकता है, गुजरात सरकार ने इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। गुजरात सरकार ने एनडीएमए के साइक्लोन से संबंधित दिशानिदेर्शों को भी पूरी तरह जमीन पर उतारा जिसमें सरकारी विभागों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने पूरा योगदान दिया।

श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि सभी एजेंसियों द्वारा चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय की चेतावनी से लेकर अब तक की गई कार्रवाई के बारे में एक दस्तावेज तैयार किया जाए, जिससे आपदा से निपटने में हासिल की गई शानदार सफलता को हर राज्य तक पहुंचाया जा सके। यह दस्तावेज भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में एक नजीर साबित हो सकता है, इसलिए इसे देशभर में एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर प्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से सफलतापूर्वक निपटने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार की सभी एजेंसियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री की ओर से उन सबके प्रति आभार व्यक्त किया। ■

बिपरजॉय चक्रवात के आने से पहले ही सरकार ने लोगों को सुरक्षित रखने की तैयारियां पूरी कर ली थी। इसके लिए 1206 गर्भवती महिलाओं को संवेदना के साथ सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया था। अस्पताल में भर्ती इन महिलाओं ने दी गई सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया। आपदा के दौरान 707 सफल प्रसव भी हुए हैं।

भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने की मुहिम

» ब्यूरो

यह सच है कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे पूरी तरह से निपटने और कम क्षति हो, इसके लिए सरकार पूरी कार्ययोजना के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें केंद्र शासित सहित तमाम राज्यों के आपदा विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश में आपदा प्रबंधन के लिए 8000 करोड़ से अधिक राशि की तीन प्रमुख योजनाओं की घोषणा की।

- राज्यों में अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए की परियोजना।
- शहरों में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले सात महानगरों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे के लिए 2,500 करोड़ की परियोजना।
- भू-स्खलन शमन के लिए 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 825 करोड़ की राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम शमन परियोजना।

श्री अमित शाह ने कहा कि अब हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि एक भी व्यक्ति की जान आपदा के कारण ना जाए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में सभी राज्यों ने इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास किए हैं। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोविड के दौरान केन्द्र और राज्यों ने एक साथ सदी की सबसे भीषण महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया। उस कठिन समय पर हर मोर्चे पर केन्द्र सरकार, राज्यों और जनता ने मिलकर लड़ाई लड़ने का एक उत्कृष्ट उदाहरण विश्व के सामने रखा। सरकार ने कोरोना के 220 करोड़

अब हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि एक भी व्यक्ति की जान आपदा के कारण ना जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में सभी राज्यों ने इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास किए हैं। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोविड के दौरान केन्द्र और राज्यों ने एक साथ सदी की सबसे भीषण महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया। उस कठिन समय पर हर मोर्चे पर केन्द्र सरकार, राज्यों और जनता ने मिलकर लड़ाई लड़ने का एक उत्कृष्ट उदाहरण विश्व के सामने रखा।

-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

से अधिक मुफ्त टीके लगाए, करोड़ों गरीबों के खाने की व्यवस्था की, लाखों मजदूरों को उनके गृह स्थान पर वापस पहुंचाया और डीबीटी के माध्यम से उनकी चिंताएं दूर करने की व्यवस्था की। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले तक आपदा को लेकर हमारा दृष्टिकोण राहत-केन्द्रित और रिएक्शनरी था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत 9 सालों में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और पूर्व तैयारी-आधारित आपदा प्रबंधन के नए अध्याय को हम सबने सामूहिक मेहनत और लगन से जमीन पर उतारा है। 350 उच्च-जोखिम आपदा संभावित ज़िलों में लगभग एक लाख युवा वॉलंटियर को तैयार करने का जो लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है, इससे आपदाओं के समय हमें बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं और इसका एनालिसिस बहुत सकारात्मक और उत्साहवर्धक है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रोएक्टिव तरीके से पिछले चार वर्षों में मात्र 10 दिनों में 73 बार अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) की टीम भेजकर राज्यों को मदद करने के प्रयास किए हैं। 2005-06 से 2013-14 तक के 9 साल और 2014-15 से 2022-23 तक के 9 सालों की तुलना करें तो, एसडीआरएफ को पहले 35,858 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जो लगभग तीन गुणा बढ़कर 1,04,704 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ से जारी होने वाली राशि 25,000 करोड़ रुपए से बढ़कर, लगभग तीन गुणा वृद्धि के साथ 77,000 करोड़ रूपए हो गया है। सरकार की प्रोएक्टिव अप्रोच के चलते, केन्द्र और राज्यों ने आपदा के जोखिम को कम करने और बाद में रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के क्षेत्रों में बजटीय प्रोविजन को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में केन्द्र सरकार के तहत 16,700 करोड़ रुपए से नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का गठन किया गया था और एसडीएमएफ के तहत 32,000 करोड़ रुपए शमन गतिविधियों के लिए रखे गए हैं।

बैठक के दौरान आपदा की पूर्व तैयारी, शमन, प्रतिक्रिया, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा, पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली, शमन निधि का उपयोग, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों (एसडीआरएफ) की स्थापना और मजबूती, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), आपदा तैयारियों, प्रतिक्रिया और शमन आदि में समुदाय द्वारा वॉलंटियर स्वयंसेवा को प्रोत्साहित करने से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान उठे मुद्दों पर हुई चर्चा के बारे में बहुमूल्य जानकारी साझा की। उन्होंने अपने-अपने राज्यों द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया और आपदा प्रबंधन में सामने आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार भी रखे। बैठक के दौरान इस बात का संज्ञान लिया गया कि केंद्र और राज्यों ने मिलकर पिछले नौ वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इस बात पर फिर जोर दिया गया कि निर्बाध निष्पादन के साथ टीम प्रयास से किसी भी आपदा के दौरान जान और माल के साथ-साथ आजीविका और संपत्ति का भी न्यूनतम नुकसान होगा।

असल में, इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क की राष्ट्रव्यापी सूची बनी है और इसमें एक लाख नए रिकॉर्ड्स दर्ज किए गए हैं। 354 करोड़ रुपए की लागत से कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल को एसएमएस के जरिए लागू करने का प्रावधान किया गया है। आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल, 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जैसे कदम बहुत उपयोगी और बहुआयामी पहल हैं। प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्ति और संस्था को पुरस्कृत करने की परंपरा शुरू की है।

इससे पहले 2 जून को केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई एक बैठक के दौरान देश में बाढ़ की रोकथाम को लेकर भी विमर्श हुआ। बैठक में गृह मंत्री ने आगामी मानसून के संदर्भ में देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों, देश की स्थानीय बाढ़ समस्याओं को कम करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए दीर्घकालिक उपायों की भी समीक्षा की। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई प्रयास हो रहे हैं जिनसे आपदा के दौरान जान-माल के नुकसान को कम से कम करने में मदद मिल सकेगी। मौसम संबंधी भविष्यवाणी अगले मॉनसून तक मौजूदा 5 से बढ़ाकर 7 दिन करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे बाढ़ प्रबंधन और बेहतर हो सके। श्री शाह ने बाढ़ और आपदा संबंधी जानकारी का विश्लेषण करने के लिए गृह मंत्रालय और NDMA द्वारा मार्च, 2024 तक एक कॉमन सॉफ्टवेयर विकसित करने के निर्देश दिए जिससे भविष्यवाणी करने वाली ऐजेंसीज को तत्काल वैज्ञानिक डेटा मिलेगा जिसका उपयोग आपदा प्रबंधन ऐजेंसियां कर सकेंगी। इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में विदेशों की विशेषज्ञ ऐजेंसियों की मदद भी ली जाए। सरकार की आपदा मित्र योजना में गांवों में उपलब्ध परंपरागत गोताखोरों को भी बचाव का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिकारियों को देश के प्रमुख जलग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ और जलस्तर में वृद्धि की भविष्यवाणी के लिए एक स्थायी प्रणाली बनाने के लिए केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने के प्रयास जारी रखने का निर्देश दिया। ■

सीमाओं की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती गांववासियों के साथ संपर्क और संवाद जरूरी

» ब्यूरो

- सीमापार से घुसपैठ, मादक पदार्थों व हथियारों की तस्करी पर अत्यधिक चौकसी बरतने की जरूरत पर बल
- सीएपीएफ सीमावर्ती गांव के स्थानीय उत्पादों की खरीद को दें बढ़ावा, रोजगार के अवसर बढ़ने से पलायन रुकेगा
- ड्रोन तकनीक और ड्रोन-रोधी उपायों के लिए सभी सीएपीएफ की हो समर्पित टीम

तकनीक से सहूलियत मिलती है और उसका दुरुपयोग भी होता है। हाल के दिनों में तकनीक आधारित आपराधिक घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से कई अहम निर्णय लिए गए हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में चिंतन बैठक हुई। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से संबंधित विभिन्न विषयों, जैसे, सीमा सुरक्षा, क्षमता निर्माण, कनिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, पुलिस और जनता के बीच संबंध, सोशल मीडिया और विधि प्रवर्तन, केन्द्र और राज्यों के विषय, मिशन भर्ती, आयुष्मान सीएपीएफ की निगरानी, प्रशिक्षण, सीएपीएफ ई-आवास पोर्टल, अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी, कल्याण, अनुभव साझा करना और श्रेष्ठ परिपाटियों आदि पर चर्चा हुई। साथ ही खुले सत्र में अधिकारियों ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गृह मंत्री को सुझाव दिए। इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक और केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला भी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए अच्छी कानून और व्यवस्था बहुत आवश्यक है, जो एक सुदृढ़ पुलिस प्रशासन के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाती है, इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का यह प्रयास रहा है कि पुलिस प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए उसे लोकोन्मुखी बनाया जाये, ताकि वह आम जनता की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरे।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पूरे देश में आंतरिक कानून-व्यवस्था, सीमाओं की रक्षा, निष्पक्ष आम चुनाव करवाने,आपदा के समय राहत व बचाव अभियान और देश के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों, स्मारकों आदि की सुरक्षा करने में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। देश का आम नागरिक इन बलों की कर्तव्यनिष्ठा और सजगता के कारण सुरक्षित महसूस करता है और चैन की नींद सोता है। साथ ही कहा कि जहां पुलिस प्रशासन एवं सशस्त्र पुलिस बलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आम जन की अपेक्षाओं पर खरे उतरें, वहीं सरकार भी यह सुनिश्चित करती है कि पुलिस और सीएपीएफ कर्मियों को अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही उनके और उनके परिवार के कल्याण का भी पूरा ध्यान रखा जाए।

केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की शपथ में ही देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निहित होती है और सीमाओं की सुरक्षा को जिले की कानून-व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। आईपीएस अधिकारियों का जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता होना चाहिए और उन्हें जवानों के साथ-साथ उनके परिवार की भी चिंता करनी चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार की आयुष्मान सीएपीएफ योजना हर जवान को आयुष्मान करने की योजना है और सभी सीएपीएफ को इस योजना को त्रुटिरहित बनाने के लिए जवानों से सुझाव लेने चाहिए। सीएपीएफ के सभी अस्पतालों में आम जनता के निशुल्क इलाज की व्यवस्था करने को कहा । उन्होंने कहा कि हर जवान को कम से कम 5 वृक्षों को अपना परिवार बनाना चाहिए, इससे पर्यावरण स्वच्छ होने के साथ-साथ जवानों के मन में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस वर्ष नवंबर तक सीएपीएफ के सभी निर्मित आवास आवंटित हो जाने चाहिए और उन्होंने भविष्य में बनने वाले सभी आवासों का ई-आवास पोर्टल के जरिए दो महीने में आवंटन सुनिश्चित करने को कहा। सीएपीएफ में गैर-जनरल ड्यूटी के सभी पद भरने को कहा और भर्ती प्रक्रिया में आ रही किसी भी अड़चन को एक महीने में दूर करने के निर्देश दिए। जवानों में मिलेट्स के प्रति अभिरुचि पैदा करने के साथ-साथ खाने में कम से कम 30 प्रतिशत श्री अन्न को शामिल किए जाने पर बल दिया। ■

चर्चा से निकलेगा समाधान

केंद्रीय गृह सचिव की कई मुद्दों पर अहम बैठक

» ब्यूरो

29 मई को ब्रिटेन के मध्य पूर्व दक्षिण एशिया और संयुक्त राष्ट्र के राज्य मंत्री तारिक अहमद के साथ केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला की बैठक हुई। इसमें भारत और ब्रिटेन के बीच कई मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा हुई। इसमें भारत उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर विशेष बात हुई। भारत विरोधी समूहों और उनके कार्यों को लेकर भारत ने अपना पक्ष रखा और ब्रिटेन से इस पर त्वरित कार्रवाई करने की इच्छा जताई। इसके साथ ही माइग्रेशन आपराधिक दस्तावेजों और सूचनाओं के आदान-प्रदान को पहले से अधिक सुगम बनाने के लिए भी चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय समयबद्ध तरीके से, आवश्यकताओं के अनुसार कई अधिनियमों की समीक्षा करता है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 2 जून को एक ऐसी ही समीक्षा बैठक हुई जिसमें सभी स्वतंत्रता पूर्व अधिनियमों की समीक्षा की गई। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता पूर्व अधिनियमों की जिन्हें निरस्त/संशोधित

केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने ब्रिटेन के मध्य पूर्व दक्षिण एशिया और संयुक्त राष्ट्र के राज्य मंत्री श्री तारिक अहमद के साथ विशेष मंत्रणा की। इसके अलावा नौवहन महानिदेशक के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की।

करने के लिए अब तक जो कार्रवाई हुई है, उसकी भी समीक्षा की। बैठक में 18 अधिनियमों की समीक्षा की गई जिसमें पासपोर्ट अधिनियम 1920 भी शामिल था। इसके साथ ही विदेशियों का पंजीकरण एक्ट 1939 विदेशी एक्ट 1946) कार्यालय गोपनीय एक्ट 1923) दिल्ली लॉ एक्ट 1915) जहर एक्ट 1919 भारतीय दंड संहिता 1860 भी अहम रहा। 6 जून को केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने नौवहन महानिदेशक से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय गृह सचिव ने तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और जलमार्ग से हो रही गतिविधियों पर चर्चा की। साथ ही व्यापारिक नौवहन नियम, 2023 को लेकर चर्चा हुई।

इसी दिन सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह सचिव ने आयुष्मान योजना के जरिए सभी जवानों तक समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर बात की। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से कहा कि जो जवान पूर्वोत्तर राज्यों में पदस्थापित हैं और जो मोर्चे पर हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। जहां कभी भी केंद्रीय स्वास्थ्य पुलिस के आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों का पैनल नहीं है उसे तुरंत किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के विस्तार को लेकर भी वरीय अधिकारियों को काम करने के लिए कहा गया है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में देश के अन्य इलाकों की अपेक्षा नशे का कारोबार अधिक है। इसके लिए केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने विभागीय अधिकारियों को प्राथमिता के आधार पर काम करने को कहा है। 6 जून की बैठक में ही उन्होंने सीमावर्ती गांवों में नशामुक्त अभियान चलाने पर जोर दिया है। वाइब्रेंट विलेज की परियोजना के तहत लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह बेहद जरूरी है। ■

राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के सामने मजबूत दीवार बना एफसीआरए

श्री प्रभाकर अलोका*

एफसीआरए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। हाल ही में नियामक कार्रवाइयों से उत्कृष्ट परिणाम मिले हैं। पहले के वर्षों में विदेशी दानदाता केवल उन्हीं परियोजनाओं को वित्त पोषित करते थे, जो भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, जैसे कोयला खदानें, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र, समुद्री बंदरगाह, खनिज अयस्क खनन या ऐसी अन्य औद्योगिक परियोजनाएं बाधित करती थीं।

वर्तमान में युद्ध अपने परंपरागत तौर-तरीकों को छोड़ अपने अत्याधुनिक स्वरूप में पहुंच चुका है। यह भी कहा जा सकता है कि युद्ध अपनी पांचवीं पीढ़ी तक विकसित हो चुका है। युद्ध क्षेत्र थल, जल और नभ से आगे निकलकर नए क्षेत्रों में परिवर्तित हो गया है। इस नवीन परिदृश्य में कौटिल्य की राष्ट्रीय सुरक्षा वास्तुकला के सात स्तंभों में से दो, जनपद (लोग) और कोष (अर्थव्यवस्था) बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। कमजोर अर्थव्यवस्था देश के विकास और भविष्य को अवरुद्ध कर देगी, जिससे इसकी संप्रभुता का हनन हो जाएगा। इससे महानगरीय ताने-बाने पर दबाव पड़ेगा।

यह सीधे तौर पर सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल का कारण बनती है। इससे सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना प्रबल होती है। कुछ ऐसा ही मनोवैज्ञानिक प्रचार द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध में हेरफेर की रणनीति बने थे। हालांकि, उस समय आर्थिक अस्थिरता एक स्पष्ट रणनीति नहीं थी क्योंकि उस दौरान वैश्वीकरण के विपरीत, आर्थिक विशिष्टता आदर्श थी।

वैश्विक समुदाय अब इस तथ्य से अवगत हो गया है कि सैन्य और परमाणु अधिग्रहण को पीछे छोड़ते हुए अर्थव्यवस्था आधुनिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी देशों ने अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए विधायी और प्रशासनिक उपाय किए हैं।

भारत में हुए तीव्र आर्थिक विकास के कारण देश आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। प्रभावशाली और बुनियादी ढांचे के विकास, फिनटेक, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण आदि में प्रगति, संरचनात्मक और नीतिगत बदलावों की वजह से भारत निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। इसके लिए सुनिश्चित करना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था यथासंभव सुरक्षित रहे। शत्रुतापूर्ण ताकतों को विफल करना हमारा प्राथमिक राष्ट्रीय उद्देश्य है।

ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा और निवेश अधिनियम 2021 का उद्देश्य उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिमों की पहचान करना और उनका प्रबंधन करना है। इसके साथ ही यह समझदारी और आनुपातिक तरीके से निवेश के प्रवाह को जारी रखने की अनुमति देता है। इसी तरह अमेरिका में विदेशी निवेश पर समिति (सीएफआईयूएस) एक अंतर-एजेंसी समिति है, जो विदेशी निवेश और विदेशी व्यक्तियों द्वारा कुछ रियल एस्टेट लेन-देन की समीक्षा करने के लिए अधिकृत है। यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता है। अमेरिका का विदेशी निवेश जोखिम समीक्षा प्रबंधन अधिनियम (एफआईआरएमए), 2018, सीएफआईयूएस को आधुनिक रूप से मजबूत बनाता है। विदेशी व्यक्तियों से जुड़े कुछ गैर-नियंत्रित निवेश और रियल एस्टेट लेन-देन में ये आर्थिक खतरों और इसके जवाबी खुफिया निहितार्थों के प्रति 'सैन्य महाशक्तियों' की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का उदाहरण हैं।

भारतीय संदर्भ में बात करें, तो आर्थिक खतरे को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 (एफसीआरए) में परिभाषित किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य कुछ व्यक्तियों या संघों या कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए कानून को समेकित करना और राष्ट्रीय हित और किसी भी गतिविधियों के लिए विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग पर रोक लगाना है। एफसीआरए में विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए एक रूपरेखा शामिल है।

एफसीआरए राष्ट्रीय सुरक्षा की निगरानी करता है। गैर-सरकारी संगठनों को वित्त पोषित करना, इच्छुक पश्चिमी समूहों के तौर-तरीकों में से एक के रूप में पहचाना गया है। वर्तमान में लगभग 18,000 एनजीओ हैं, जिन्हें प्रति वर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। कुछ विदेशी दानकर्ता छोटे-मोटे अवरोधों को बढ़ाकर परियोजनाओं में बाधा डालने या देरी करने के उद्देश्य से भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लक्षित करते हैं। भारत सरकार ने अधिक पारदर्शिता लाने और अनुपालन को मजबूत करने के लिए एफसीआरए में संशोधन किया कि विदेशी योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में स्थित बैंक खातों में प्राप्त की जा सके।

गृह मंत्रालय ने सभी रिकॉर्ड, एप्लिकेशन, फाइलिंग और समीक्षाओं को वास्तविक समय, ऑनलाइन और सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर डिजिटल कर दिया है। ऐसा करने से विदेशी योगदान प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान हो गई। एफसीआरए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। हाल ही में नियामक कार्रवाइयों से उत्कृष्ट परिणाम मिले हैं। पहले के वर्षों में विदेशी दानदाता केवल उन्हीं परियोजनाओं को वित्त पोषित करते थे, जो भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, जैसे कोयला खदानें, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र, समुद्री बंदरगाह, खनिज अयस्क खनन या ऐसी अन्य औद्योगिक परियोजनाएं बाधित करती थीं।

भारत ने 40 साल पहले एफसीआरए लागू किया था। एफसीआरए को विदेशी योगदान, आपूर्ति श्रृंखलाओं पर विदेशी नियंत्रण की संभावनाओं, प्रौद्योगिकी चोरी और विदेशी फंडिंग के माध्यम से शुरू होने वाले अन्य व्यवधानों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक सूक्ष्म समीक्षा करनी पड़ सकती है। 2014 के बाद से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार राष्ट्र के प्रमुख हितों की रक्षा करने में दृढ़ रही है, विशेष रूप से प्रेरित फंडिंग से जो सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी को प्रेरित करती है और आर्थिक विकास में बाधा डालती है।

विधायी सुधार और निरंतर कार्यान्वयन सुशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं। कानून प्रासंगिक, पारदर्शी, जिम्मेदार और राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल होने चाहिए। विधायी सुधारों को अपनाने से सरकारों को खामियों को दूर करने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का अधिकार मिलता है। ■

*(पूर्व विशेष निदेशक, आईबी)

सीमा सुरक्षा बल के साथ बीजीबी (बांग्लादेश) के महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन - 2023 बीएसएफ छावला कैंप, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों ने विकासात्मक और बुनियादी ढांचागत गतिविधियों में तेजी लाने और उन्हें अधिक गति देने पर जोर दिया। इससे दोनों मित्र देशों के बीच व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।

06 जून को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीआरएफ द्वारा एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा, होम गार्ड और अग्निशमन सेवाओं पर राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने किया।

विश्व रक्तदान दिवस पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय में हिंदू राव हॉस्पिटल, दिल्ली के सौजन्य से रक्तदान तथा निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर ब्यूरो के महानिदेशक, श्री बालाजी श्रीवास्तव ने ब्यूरो के सभी अधिकारियों एवं स्टाफ को विश्व रक्तदान दिवस की शपथ दिलाई।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की ओर से 'खून दो-प्लाज्मा दो', 'जीवन बांटो-अक्सर बांटो' की भावना का पालन करते हुए विश्व रक्तदाता दिवस (14 जून) के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनसीआरबी कर्मियों ने रक्तदान की प्रतिज्ञा ली।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन

https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

"श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चौतरफा विकास हो रहा है। गरीबों के सशक्तीकरण से लेकर युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों की राहें खुली हैं जिससे राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ रही है।"

-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia Burearu of Police Research & Development India https://bprd.nic.in